(26)

(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 849-II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–02–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 17/2012–13/अपील ।

1–धर्मेन्द्र पुत्र अशोक शर्मा
निवासी सायनीपुरा सेवढ़ा जिला दतिया
हाल निवासी मस्जिद के पीछे, आलमपुर,
तहसील लहार, जिला–भिण्ड (म.प्र.)
2–भावना पुत्री अशोक शर्मा पत्नी संजीव शर्मा
निवासी ग्राम चौरई तहसील लहार,
जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–रामसेवक पुत्र हरजू यादव
निवासी सेवढ़ा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
2–सुनील पुत्र श्री रामसेवक यादव
3–संतोष पुत्र श्री रामेवक यादव
निवासीगण सेवढ़ा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया
4–सुनीता पुत्री रामसेवक यादव
5–विनीता पुत्री रामसेवक यादव
निवासीगण सेवढ़ा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण

श्री संतोषकुमार वाजपेयी, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा जिला दतिया म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 17/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 24–02–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मुबारिकपुरा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 262, 259, 261, 263/2, 265 व 270 कुल किता 5, कुल रकबा 3,229 हैक्टेयर जो कि दौरान बन्दोबस्त परिवर्तित होकर निम्न नम्बर 327, 341, 331, 229 व 336 बनाये गये हैं । उक्त आराजियान में सर्वे नम्बर 327 रकबा 1.36 व भाग 34/1.35 में 1/3 भाग यानि 0.11 आरे तथा सर्वे कमांक 327, 336, 341 किता 4 कुल रकबा 1.91 में रकबा 48/1.91 हेक्टर , 1/3 भाग यानि 0.16 हेक्टर के भूमिस्वामी आवेदिका कमांक 2 भावना थी। वर्ष 1998 में जब आवेदिका कमांक 2 नाबालिग थी तब उसकी सौतेली मॉ शारदाबाई संरक्षक थी और अपनी सौतेली पुत्री भावना के हिता को समाप्त करने तथा अपने सगे पुत्र धर्मेन्द्र को लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से विक्रय पत्र दिनांक 22–4–1998 को भावना संरक्षण की हैसियत से अपने नाबालिग पुत्र धर्मेन्द्र संरक्षक की हैसियत से निष्पादित करा लिया। उक्त विक्रय पत्र को भावना के बालिग होने पर दिनांक 11–7–2005 को अपने स्वत्वों की भूमि को मनोरमा के हक में विक्रय कर देने के बाद हल्का पटवारी के वर्ष 1998 के पूर्व सरपंच द्वारा दिनांक 8–7–1998 को प्रस्ताव कमांक 4 का दस्तावेज तैयार कर पंजी कमांक 7 दिनांक 8–7–1998 पर भावना के उक्त संरक्षक शारदा देवी के द्वारा अपने पुत्र धर्मेन्द्र के हक में किये गये विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करा लिया । उक्त नामान्तरण आदेश की प्रथम अपील अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा जिला दतिया के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अवधि बाह्य होने के बाबजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 से सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–14 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें बताया गया कि अनावेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश पारित होने के दिनांक से ही थी । अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण की भूमि हड़पने के उद्देश्य से फर्जी रूप से भावना की नाबालिगीय निरस्त करायी व उन्होंने फर्जी विक्रयपत्र संपादित कराया, जिसकी पूर्व से ही जानकारी अनावेदकगण को थी । अनावेदक की पत्नि ने फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 11–7–05 के आधार पर नामान्तरण कराने का प्रयास किया लेकिन राजस्व अभिलेखों में भावना नाम नहीं था इसी दिन पुनः पता चला कि भावना के स्थान पर धर्मेन्द्र का नाम है तब मनोरमा द्वारा कई अवैध प्रयास किये गये लेकिन सफल नहीं हुई । मनोरमा द्वारा दिनांक 7–3–2011 को सिविल वाद प्रस्तुत किया और वाद प्रस्तुत करने का कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24–2–2011 बताया गया । इस प्रकार अनावेदकगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी आदेश पारित होने के समय से थी किन्तु फिर भी उनके द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जो क्षमा योग्य नहीं होने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया गया है जो उचित नहीं है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि अनावेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था और ना ही वह दुखित अथवा व्यथित पक्षकार है ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नहीं है । इस बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया है वह अधिकारिता रहित आदेश होने से प्रथमदृष्टि में ही निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–2–14 निरस्त किया जाकर ठहराव कमांक 4 पर ग्राम मुबारिकपुरा की पंजी कमांक 7 आदेश दिनांक 8–7–1998 को स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाने का अनुरोध किया ।

4– प्रकरण में अनावेदकपक्ष के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह बताया गया कि आवेदकगण जब नाबालिग थे तब दोनों की संरक्षक उनकी मॉ थी मॉ ने अपने एक नाबालिग सौतेली संतान भावना के नाम भूमि का विक्रय पत्र अपनी दूसरी प्राकृतिक नाबालिग संतान आवेदक कमांक 1 धर्मेन्द्र के हित में विक्रयपत्र संपादित किया एवं विक्रय पत्र को छिपाये रखा । भावना ने व्यस्क होने के पश्चात् अपने नाम की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में भावना के नाम ही अंकित थी का विक्रय पत्र मनोरमा के हित में कर दिया। मनोरमा की मृत्यु हो चुकी है । अनावेदकगण मनोरमा के उत्तराधिकारी है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि विक्रय की जानकारी होने के दिनांक को नामान्तरण हो जाने की जानकारी होना नहीं माना जा सकता । अनावेदक ने विक्रय पत्र की जानकारी होते ही व्यवहार वाद प्रस्तुत किया तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण होने की जानकारी प्राप्त होते ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि में होना मानने में कोई त्रुटि नहीं है । अनावेदकगण ने जानबूझकर कोई विलम्ब अथवा लापरवाही नहीं की है । अनावेदक ने विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में व्यवहारवाद प्रस्तुत किया तथा नामान्तरण आदेश के विरूद्ध तत्काल अपील प्रस्तुत की । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में यह भी बताया कि एक अव्यस्क पुत्री की भूमि अव्यस्क पुत्र के नाम विक्रय करने का कोई वैध कारण भी नहीं है । अव्यस्क की संपत्ति उस अव्यस्क के हित के लिये ही संरक्षक द्वारा विक्रय की जा सकती है तथाकथित विक्रय में ऐसे अव्यस्क के हित संरक्षण का कोई कारण होना संभव भी नहीं है क्योंकि क्रेता भी उसी संरक्षक की अव्यस्क संतान थी । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकों की अपील के आधारो में अव्यस्क से अव्यस्क के हित में किये गये विक्रयपत्र पर कोई नामान्तरण नियमानुसार हुआ ही नहीं था । मनोरमा को भूमि विक्रय होने के बाद तथा कथित नामान्तरण की फजी कार्यवाहीं की गई क्योंकि यदि कोई नामान्तरण 1998 में हुआ होता तब वर्ष 2005 तक भावना का नाम राजस्व अभिलेखों में निरन्तर नहीं रहता स्वत्व का प्रश्न अपर जिला जज के समक्ष अपील में निराकरण हेतु लंबित है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अनुविभागीय अधिकारी

द्वारा पारित अंतरिम आदेश को स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वर्ष 1998 में हुये कथित नामान्तरण का इंद्राज भू–अभिलेखों में वर्ष 2005 तक नहीं हुआ था । ऐसी स्थिति में वर्ष 1998 का नामान्तरण संदेहास्पद होने से यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदकगणों को उसकी पहले से जानकारी थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकों की अपील समय सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक ने अपनी निगरानी में मात्र संभावनाओं का उल्लेख किया है कि अनावेदकों को पहले जानकारी हो गई होगी – ऐसा कोई प्रमाण/साक्ष्य पेश नहीं किया कि अनावेदकों को पहले से जानकारी थी ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिनुकूल है तथा हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलतः यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.